2022/319

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री हिम्मतराम पुत्र श्री हंसाजी
जाति कुम्हार
निवासी राजमाता धर्मशाला के सामने
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही /
उपखण्ड अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 50 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 12.02.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 संशोधित सपठित राजस्थान(नगरीय क्षेत्र) भवन विनिर्माण नियम 2020 के विपरीत अवैध रूप से परिवाद में वर्णित व्यक्तियों द्वारा मास्टर प्लान में आवासीय होने के उपरान्त भी वाणिज्यिक प्रथम / द्वितीय / तृतीय तल नगर परिषद एनओसी के बिना अनाधिकृत रूप से निर्माण करने पर आयुक्त महोदय को परिवाद की जांच कर नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर सूचना / रिपोर्ट मय दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 12.02.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 संशोधित सपठित राजस्थान(नगरीय क्षेत्र) भवन विनिर्माण नियम 2020 के विपरीत अवैध रूप से परिवाद में वर्णित व्यक्तियों द्वारा मास्टर प्लान में आवासीय होने के उपरान्त भी वाणिज्यिक प्रथम / द्वितीय / तृतीय तल नगर परिषद एनओसी के बिना अनाधिकृत रूप से निर्माण करने पर आयुक्त महोदय को परिवाद की जांच कर नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर सूचना / रिपोर्ट मय दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के द्वारा जरिए पत्र क्रमाक 184 दिनांक 05.04.2022 को अपीलांट का मूल आवेदन उपखण्ड कार्यालय सिरोही को स्थानान्तरित कर दिया गया था। अतः अपीलांट की [illegible] की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को [illegible] किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना [illegible] नियमानुसार [illegible] । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner